

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 911 / 12

संस्थित दि.: 09 / 11 / 12

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,  
जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

बुधराम पिता श्यामलाल मेरावी, उम्र 21 साल, जाति गोंड,  
निवासी ग्राम साल्हे थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म0प्र0)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 30 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 354 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 11 / 10 / 2012 को दिन के 10:00 बजे, ग्राम साल्हे झोड़ी रास्ते पर थाना परसवाड़ा फरियादिया कुमारी सावनबती का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादिया कुमारी सावनबती की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से हमला किया / आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया कुमारी सावनबतीबाई ने दिनांक 11 / 10 / 2012 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की लिखित रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह साल्हे में रहती है, कक्षा 9 में पढ़ती है। दिनांक 11.10.2012 को अपनी बहन चैती के साथ गांव से पढ़ने आ रही थी। साल्हे झोड़ी के पास बुधराम पिता श्यामलाल मेरावी मिला और उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से खींचने लगा। उसने बोला कि वह अपनी मां को बतायेगी तो आरोपी बुधराम उसका हाथ छोड़कर भाग गया। फरियादी की लिखित रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 82 / 12 अन्तर्गत धारा 354, 341 के अन्तर्गत मामला

पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 341 के अन्तर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 341 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी तथा फरियादिया के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादिया ने रंजिश वश पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर उसे झूठा फंसाया है।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 11/10/2012 को दिन के 10:00 बजे, ग्राम साल्हई झोड़ी रास्ते पर थाना परसवाड़ा अन्तर्गत फरियादिया कुमारी सावनबती की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादिया सावनबती (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह सायकिल से उसकी बहन चैती के साथ परसवाड़ा स्कूल जा रही थी। रास्ते में आरोपी बुधराम मिला तो आरोपी ने उनकी सायकिल की हवा निका दी। उसने पुलिस को लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1 लिखकर दिया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने

उसकी रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा हाथ पकड़कर खींचने और सायकिल की हवा निकालने की बात को लेकर उसने रिपोर्ट की थी तथा पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 बनाया था।

(08) अभियोजन साक्षी चैतीबाई (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह सावनबती के साथ सायकिल से स्कूल जा रही थी तो रास्ते में आरोपी बुधराम मिला जिसने सावनबती की सायकिल को पंचर कर दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी सावनबती का हाथ पकड़कर खींचने लगा।

(09) अभियोजन साक्षी नैनबती (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को सावनबती ने आकर उसे बताया कि आरोपी बुधराम ने उसको रास्ते में रोक लिया और उसकी सायकिल की हवा निकाल दी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि सावनबती ने उसे आरोपी के द्वारा हाथ पकड़कर खींचने वाली बात बताई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे फरियादी सावनबती ने बताया था कि जब वह स्कूल जा रही थी तो उसने आरोपी बुधराम को अपनी सायकिल में हवा कम होने की वजह से हवा चैक करने के लिए बोला था।

(10) अभियोजन साक्षी उमन्द्र (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से करीब डेढ़ साल पुरानी है। घटना के समय वह घर पर नहीं था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसे सावनबती ने बताया था कि जब वह चैती के साथ स्कूल जा रही थी तो रास्ते में आरोपी ने सायकिल की हवा खोल दी थी और हाथ पकड़कर खींचने लगा

था।

(11) अभियोजन साक्षी पार्वतीबाई (अ.सा.05) कहना है कि वह आरोपी और प्रार्थी दोनों को जानती है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि सावनबती ने उसे घर पर आकर यह बताया था कि जब वह चैती के साथ स्कूल जा रही थी तो रास्ते में बुधराम ने उसका रास्ता रोककर उसकी सायकिल की हवा खोल दी और आरोपी उसका हाथ खींच रहा था।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादियां सावनबती (अ.सा.01) एवं साक्षी चैतीबाई (अ.सा.03), नैनबती (अ.सा.02), उमेन्द्र (अ.सा.04), पार्वतीबाई (अ.सा.05) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जावे।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी/फरियादिया सावनबती (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह सायकिल से उसकी बहन चैती के साथ परसवाड़ा स्कूल जा रही थी। रास्ते में आरोपी बुधराम मिला तो आरोपी ने उनकी सायकिल की हवा निका दी। उसने पुलिस को लिखित आवेदन प्रदर्श पी-1 लिखकर दिया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा हाथ पकड़कर खींचने और सायकिल की हवा निकालने की बात को लेकर उसने रिपोर्ट की थी तथा पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 बनाया था।

(15) अभियोजन साक्षी चैतीबाई (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना उसके

कथन से एक वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह सावनबती के साथ सायकिल से स्कूल जा रही थी तो रास्ते में आरोपी बुधराम मिला जिसने सावनबती की सायकिल को पंचर कर दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी सावनबती का हाथ पकड़कर खींचने लगा।

(16) अभियोजन साक्षी नैनबती (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को सावनबती ने आकर उसे बताया कि आरोपी बुधराम ने उसको रास्ते में रोक लिया और उसकी सायकिल की हवा निकाल दी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि सावनबती ने उसे आरोपी के द्वारा हाथ पकड़कर खींचने वाली बात बताई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे फरियादी सावनबती ने बताया था कि जब वह स्कूल जा रही थी तो उसने आरोपी बुधराम को अपनी सायकिल में हवा कम होने की वजह से हवा चैक करने के लिए बोला था।

(17) अभियोजन साक्षी उमेन्द्र (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना उसके कथन से करीब डेढ़ साल पुरानी है। घटना के समय वह घर पर नहीं था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसे सावनबती ने बताया था कि जब वह चैती के साथ स्कूल जा रही थी तो रास्ते में आरोपी ने सायकिल की हवा खोल दी थी और हाथ पकड़कर खींचने लगा था।

(18) अभियोजन साक्षी पार्वतीबाई (अ.सा.05) कहना है कि वह आरोपी और प्रार्थी दोनों को जानती है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि सावनबती ने उसे घर पर आकर यह बताया था कि जब वह चैती के साथ स्कूल जा रही थी तो रास्ते में बुधराम ने उसका रास्ता रोककर उसकी सायकिल की हवा खोल दी और आरोपी उसका हाथ



खींच रहा था।

(19) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत फरियादिया एवं साक्षियों के कथनों से आरोपी ने दिनांक 11/10/2012 को दिन के 10:00 बजे, ग्राम साल्हई झोड़ी रास्ते पर थाना परसवाड़ा अन्तर्गत फरियादिया कुमारी सावनबती की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया। ऐसा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से परिलक्षित नहीं होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

(20) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी बुधराम मेरावी ने दिनांक 11/10/2012 को दिन के 10:00 बजे, ग्राम साल्हई झोड़ी रास्ते पर थाना परसवाड़ा फरियादिया कुमारी सावनबती की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया। अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित पता हूँ।

(21) परिणाम स्वरूप आरोपी बुधराम मेरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(22) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में निष्पादित पूर्व के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)